



क्रमांक : एफ.1()पीएस/आकाशि/2023/ 6378

दिनांक : 19-6-2023

:: आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत निम्न सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय/कार्यालय में नीचे दी गई तालिका के कॉलम संख्या 04 पर अंकित रिक्त पद के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28-03-2023 के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए पुनर्नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	रिक्त पद का नाम जिसका कार्य किया जाना है तथा जिसके विरुद्ध पुनर्नियुक्ति किया जा रहा है	महाविद्यालय का नाम जहाँ रिक्त पद के विरुद्ध सेवाएं ली जानी हैं
01	नवल हरिजन	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर
02	सुनील कुमार शर्मा	अति.प्रशा. अधिकारी	अति. प्रशा. अधिकारी	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)
03	भुराराम मेघवाल	पम्प चालक- II	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, आहोर
04	पुरुषोत्तम कुमार सिंह	सहा. प्रशा. अधिकारी	कनिष्ठ सहायक	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकरी
05	रामवतार माली	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, फतेहपुर
06	बजरंग लाल पारीक	प्रशासनिक अधिकारी	सहा.प्रशा. अधिकारी	राजकीय महाविद्यालय, नोखा
07	सुभाष चन्द्र	प्रयोगशाला सेवक	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, बुहाना
08	प्रभुराम	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी
09	प्रेमलता कश्यप	अति.प्रशा. अधिकारी	कनिष्ठ सहायक	राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा

पुनर्नियुक्ति की शर्तें :

01. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30-08-2022 के अनुसार भुगतान संवेतन मद से किया जावेगा।
02. सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस केडर से सेवानिवृत्त हुआ है उस ही केडर में रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.19 12:37:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4075876



03. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपाजित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जावेगा।
04. समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़ बही को लिखने और रौकड़िया के रूप में कृत्य करने से सम्बन्धित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जावेंगे।
05. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।
06. पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
07. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
08. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
09. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
10. शेष प्रावधान एवं शर्तें कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेश/परिपत्रों के अनुसार होंगे।

(सुनील शर्मा)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर

दिनांक : 19-6-2023

क्रमांक : एफ.1()पीएस/आकाशि/2023/6378

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य/सहायक निदेशक, राजकीय महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 28-03-2023 की पालना सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पश्चात् पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को जरिये ई-डाक उपलब्ध करावें।
4. सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिक को सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.19 12:37:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4075876

